

संख्या: पी-10/08/2016-स्फूर्ति

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

दिनांक 10 अक्टूबर, 2011

परिपत्र

विषय: खादी मार्क विनियम, 2013 अनुलग्नक -5 में संशोधन के संबंध में।

कृपया हाथ से बुनी, हाथ से कती खादी और खादी उत्पादों पर खादी मार्क लेबल और टैग का उपयोग करने के लिए शपथ पत्र से संबंधित खादी मार्क विनियम, 2013 के अनुलग्नक -5 में संशोधन हेतु अधिसूचना का एक मसौदा इसके साथ संलग्न किया गया है।

खादी और खादी उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, व्यापार और विपणन से संबंधित सभी संस्थानों से अनुरोध है कि वे मंत्रालय के विचार के लिए ई-मेल-ceocell.kvic@gov.in के माध्यम से दिनांक 24.10.2017 तक इस मामले पर अपनी टिप्पणी / विचार भेजें।

(जे.के. साहू)

अवर सचिव, भारत सरकार

011-23062573

मेल-sahu.jk@nic.in

संलग्न: उपरोक्त

1. खादी और खादी उत्पादों के उत्पादन, बिक्री, व्यापार और विपणन से संबंधित सभी हितधारक।
2. एनआईसी, इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई – केवीआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

अनुलग्नक-5

हाथ से बुनी, हाथ से कती खादी और खादी उत्पादों पर खादी मार्क लेबल और टैग का उपयोग करने के लिए शपथ पत्र
(राज्य स्टाम्प अधिनियम के अनुसार मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दिया जाना है)

दिनांक:

सेवा में,

अध्यक्ष

केंद्रीय खादी मार्क समिति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

ग्रामोदय, इरला रोड, विले पार्ले (पश्चिम)

मुंबई -400056

प्रिय महोदय,

"मैं/हम इसकी पुष्टि करता हूं/ करते हैं कि -----

(संस्था का नाम) -----के तहत पंजीकृत (अधिनियम/कानून का नाम जिसके तहत संस्था पंजीकृत है) खादी और खादी उत्पादों का उत्पादन करने /

बिक्री करने की इच्छा रखती है (जो भी लागू हो) और हमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित किया गया है और हमारे पास आयोग द्वारा जारी एक वैध खादी प्रमाण पत्र है।

अथवा

मैं/हम पुष्टि करते हैं कि

हमारे संगठन को -----के अधीन विधिवत पंजीकृत किया गया है (अधिनियम / विधान का नाम जिसके तहत संगठन पंजीकृत है) तथा खादी और खादी उत्पादों के व्यापार/बिक्री/ विपणन के लिए केवीआईसी के साथ एक वैध समझौता किया गया है।

हमारी संस्था/संगठन, खादी और खादी उत्पादों अर्थात केवीआईसी अधिनियम में परिभाषित प्राकृतिक फाइबर के खादी और खादी उत्पादों का उत्पादन/बिक्री करती है (जो भी लागू हो)।

हमारी संस्था/संगठन विशेष रूप से प्रमाणित खादी संस्थानों/ केवीआईसी से खरीदी गई खादी और खादी उत्पादों को बेचने/खरीदने की इच्छुक है। ऐसी खादी संस्था को इन विनियमों के तहत जारी "खादी चिह्न" प्राप्त करना चाहिए था।

खादी मार्क रेगुलेशन 2013 02 अक्टूबर 2013 से लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत, कोई भी व्यक्ति या संस्था खादी मार्क प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना खादी या खादी उत्पादों का किसी भी रूप या तरीके से उत्पादन या बिक्री या अन्यथा व्यापार नहीं करेगा।

इसी प्रकार, खादी मार्क को प्राप्त किए और उसे वहन किए बिना किसी भी रूप या तरीके से खादी या खादी उत्पाद के रूप में कोई वस्त्र बेचा या ट्रेड नहीं किया जाएगा।

ये खादी मार्क लेबल और टैग कपास, ऊन, रेशम या इन सब के मिश्रण से बने खादी वस्त्र अर्थात् हाथ से कते और हाथ से बुने फेब्रिक अर्थात् केवल प्रामाणिक खादी और खादी उत्पादों पर ही उपयोग में लाए जाएंगे।

मैं/हम प्रामाणिक खादी और खादी उत्पादों पर केवल खादी मार्क लेबल और टैग के उपयोग के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, जो कि विनियमों के तहत निर्दिष्ट हैं। इसके किसी भी प्रकार के उल्लंघन के कारण मेरे/हमारे विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सत्य है और इसका कडाई से पालन किया जाएगा। मैं/हम इसके किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे, जिसके लिए मेरे/हमारे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

{चेयरमैन / अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक । सीईओ । प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर (मुहर के साथ)}

[फाईल संख्या पी-10/08/2016-स्फूर्ति]

बी.एच. अनिल कुमार

संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण संख्या G.S.R. 498 (ई), 19 जुलाई 2013 में प्रकाशित किए गए थे, और जैसा कि संख्या जी.एस.आर. 18 (ई) दिनांक 10 जनवरी 2017 द्वारा संशोधित किए गए हैं।